आंबेडकर पथ । वर्ष: 1 । अंक : 01 । जनवरी-जून 2024 । ISSN : 3048-7781

बौद्ध धर्म और डॉ. बी.आर. आंबेडकर

–डॉ. अश्विनी कुमार

सारांश : डॉक्टर आंबेडकर बचपन से ही जातिवाद, अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी बीमारियों से पीड़ित थे और उनके साथ संघर्ष भी कर चुके थे। डॉ. आंबेडकर कहीं-न-कहीं इन सबके पीछे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और धर्म को कारण समझते थे। इसलिए बचपन से ही उनके मन में ऐसा विचार उत्पन्न हो रहा था कि क्या कोई ऐसा धर्म भी हो सकता है जिसमें सब समान रूप से रह सकें, कोई छोटा-बड़ा न हो, सबको समान अधिकार हों। बचपन से ही मंदिरों में प्रवेश न मिलने से मंदिरों में प्रवेश करने के लिए संघर्ष करने तक को लेकर हिंदू धर्म के प्रति, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के कट्टरवाद स्वरूप के प्रति, आंबेडकर के मन में कहीं-न-कहीं सवाल उठते रहते थे। आंबेडकर अपनी प्रतिज्ञा से भी बंधे हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा था, ''मैं हिंदू धर्म में जन्मा यह मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू हूँ पर मरूँगा नहीं। अतः 14 अक्तूबर, 1956 को विजयदशमी के दिन उन्होंने भगवान बुद्ध के रास्ते को सार्वजनिक रूप से अपनाने की घोषणा कर दी। वह बहुत पहले से ही बुद्ध का अनुसरण करते थे, और बुद्ध की शिक्षाओं को मानते थे। उनके जीवन में समानता और समता बुद्ध की ही देन थी, पर व्यावहारिक रूप से उन्होंने नागपुर में 14 अक्तूबर, 1956 को इसकी दीक्षा ली।

प्रस्तावना : आंबेडकर भारतीय संस्कृति में ही पैदा हुए, बड़े हुए और भारतीय संस्कृति के अध्ययनकर्ता थे। उन्होंने धर्म को केवल निजी दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि अपने जैसे करोड़ों भाइयों और बहनों की दृष्टि से देखने का काम किया। वह उन सभी के लिए

सहायक आचार्य, डॉ. आंबेडकर मानवाधिकार एवं पर्याचवरणीय मूल्य पीठ, पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा (पंजाब)
Email: ashwani21kumar@gmail.com

सोच रहे थे जिनको न केवल मानव अधिकारों से, बल्कि धार्मिक अधिकारों से भी वंचित किया गया था। उनके मन में उनके प्रति धार्मिक अधिकार दिलवाना तो एक उद्देश्य था ही, साथ-ही-साथ वह धार्मिक स्वतंत्रता भी प्राप्त कर उनको प्रदान करना चाहते हैं। बौद्ध धर्म की शरण में जाने से पहले आंबेडकर जी ने हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम का विस्तार से अध्ययन किया। सबका अध्ययन करने के बाद वह बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए, क्योंकि बौद्ध धर्म उदार धर्म है और वर्ण भेद और जाति भेद में विश्वास नहीं करता। आंबेडकर जी ने इसकी शक्ति को पहचाना और बौद्ध धर्म का अध्ययन प्रारंभ किया। डॉक्टर आंबेडकर ने अनुभव किया, यह समय की मान्यता है कि सभी को सर्वधर्म समभाव के तरीके से भारत में रहने का अधिकार है। सबको अपना धर्म अपनाने और उसको मानने का अधिकार है। बहुत समय तक उन्होंने इस बात का इंतजार किया कि शायद आने वाले समय में हिंदू धर्म में परिवर्तन आएगा और हमारे सवर्ण भाई-बहनों की मानसिकता में परिवर्तन आएगा। अछूत वर्ग, जो कि हिंदू धर्म का ही एक अंग है, उसके साथ भेदभाव करना अस्पृश्यता का व्यवहार करना बंद कर देंगे।

इस बात का अनुमान हम इस वाक्य से भी लगा सकते हैं कि उन्होंने 1935 में लगभग यह घोषणा की थी, ''मैं हिंदू जन्मा जरूर हूँ यह मेरे बस में नहीं था; पर मैं हिंदू होकर मरूँगा नहीं।'' यदि हम ध्यान से देखें तो 1935 से लेकर 1956 तक लगभग 21 वर्ष का समय उन्होंने इंतजार किया कि अब क्या किया जाए। इन 21 वर्षों में उन्होंने सब तरीके से इसके बारे में सोचा। धर्म के संदर्भ में, देश के संदर्भ में। आंबेडकर एक ऐसे राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने संविधान सभा की समिति में, जो उन्होंने भाषण दिया, उसने कहा, ''मैं पहले और अंत में केवल भारतीय हूँ।'' ऐसे आंबेडकर को अब यह इतना कठोर निर्णय लेना था तो उन्होंने यह सोचा कि मुझे अब हिंदू धर्म को भी छोड़ना है और किसी ऐसे मत ऐसे धर्म में जाना है जिससे मेरे देश को मेरे भारत को कोई नुकसान न हो और मेरे करोड़ों भाई-बहन, जो मेरे पीछे चल कर उस धर्म में जाएंगे, उनका भला हो। आंबेडकर देश को सबसे पहले मानते थे। उनका मानना था कि यदि देश रहेगा तो हम भी रहेंगे और धर्म भी रहेगा। इन सब चिंताओं में उन्होंने गहन अध्ययन करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया क्योंकि बौद्ध धर्म भारत की मिट्टी से ही निकला हुआ एक धर्म है और बौद्ध धर्म कभी भी किसी भी हालत में भारत को क्षति पहुँचाने के बारे में सोच नहीं सकता।

डॉ. आंबेडकर ने सामाजिक समानता का भाव बौद्ध धर्म से ही ग्रहण किया था। बौद्ध काल में भारत में चित्रकला, मूर्तिकला और भी कई तरह की कलाओं की उन्नति हुई। बौद्ध काल में ही भारतीय साहित्य दर्शन की भी उन्नति हुई। बहुत से देशों के विद्यार्थी यहाँ के तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने

आते थे। आंबेडकर ने केवल बौद्ध धर्म अपनाने की ओर ही ध्यान नहीं दिया, या उसको ग्रहण करने या मानने की ओर ही ध्यान नहीं दिया, अपितु आंबेडकर जी ने भारत में बौद्ध धर्म के पतन के कारणों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने देखा बुद्ध के शिष्यों में लगभग 10 प्रतिशत ब्राह्मण थे जो ब्राह्मण लोग बुद्ध से तर्क करने आते थे और निरुत्तर होकर प्रभावित और द्रवित होकर उनके धर्म में दीक्षित हो जाते थे। बौद्ध धर्म में जाति भेद न होने के कारण धीरे-धीरे जब निम्न जातियों के लोग भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर सिद्ध महात्मा बनने लगे और राजाओं तथा सेठों द्वारा उनका पूजन सत्कार होने लगा, यह बात ब्राह्मण पुरोहितों और राजगुरु को बर्दाश्त नहीं हुई।

कथाएं मिलती हैं कि अशोक ने कई तरह की हिंदू पूजा, रीति-रिवाजों और सनातनी पद्धतियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे कि पुजारियों की बहुत बड़ी हानि हुई। उन्होंने यह समझना शुरू कर दिया कि बौद्ध के कारण ही अशोक ऐसा कर रहे हैं, जिससे उन्होंने बौद्ध धर्म के पतन के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। आंबेडकर बौद्ध धर्म के पतन का कारण विदेशी आक्रांताओं को भी मानते हैं। जिन्होंने यहाँ आकर बौद्ध धर्म के चिह्नों को तोड़ा, भिक्षुओं को मारा, बौद्ध विहारों में आग लगा दी तथा नालंदा तक्षशिला को नुकसान पहुँचाया।

आंबेडकर बौद्ध धर्म को अन्य धर्मों की तुलना में ज्यादा अच्छा समझते थे। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म ने समाज के पुनर्निर्माण के लिए तीन बुनियादी सिद्धांत निर्धारित किए हैं, जो निःसंदेह वर्तमान परिस्थितियों में महत्त्वपूर्ण हैं :

1. **प्रज्ञा**—प्रज्ञा का अर्थ है मनुष्य की विवेक-शक्ति, यह अंधविश्वासों और चमत्कारों के विरोध में होती है।
2. **करुणा**—यह प्राणीमात्र के प्रति प्रेम का भाव है।
3. **समता**—यह सभी मनुष्यों का एक जैसा समझने का भाव है।

डॉ. आंबेडकर के अनुसार भगवान बुद्ध ने आत्मा से संबंधित जो कुछ कहा, उसके विषय में तीन मत मिलते हैं—

1. बुद्ध ने आत्मा के विषय में अपना कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं किया,
2. बुद्ध ने आत्मा के सिद्धांत की आलोचना नहीं की, न उसका खण्डन ही किया, और
3. बुद्ध सदैव आत्मा के सिद्धांत को टालते रहे।

बुद्ध ने महाबली से स्पष्ट शब्दों में कहा कि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है। अतः उनका सिद्धांत 'अनात्मवाद' नाम से प्रसिद्ध है। वह किसी आत्मा में विश्वास नहीं करते थे।[1] डॉ. आंबेडकर भारतीय इतिहास में क्रांति का विश्लेषण करते हुए कहते हैं,

''बौद्ध धर्म एक क्रांति था। यह बौद्ध क्रांति, फ्रांस की क्रांति के समान ही एक महान क्रांति थी। डॉ. आंबेडकर की दृष्टि में धर्म मानव जीवन का अनिवार्य अंग है, वह धर्म को सामाजिक न्याय के आचरण का रूप भी मानते थे।''

डॉ. आंबेडकर का धार्मिक चिंतन उनके पूर्ववर्ती समाज सुधारकों से भिन्न है। उनकी मान्यताएँ कुछ विशेष परिस्थितियों की उपज है। उन पर समसामयिक स्थितियों का प्रभाव था जिसके कारण उनके दर्शन की विविध अभिव्यक्तियाँ भारतीय क्षितिज पर सामने आयी। बीसवीं सदी के भारत में दो दार्शनिक विचारधाराएँ विकसित हुई। एक समूह उन विचारकों एवं सुधारकों का था जो वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कुछ-न-कुछ कहते हुए कई प्रकार के सुधारों के पक्ष में थे, जैसे बाल विवाह एवं विधवा विवाह। दूसरा समूह उन समाज सुधारकों के पक्ष में था जो मूलतः वर्णाश्रम धर्म के ही विरुद्ध थे और उसे मूल रूप से समाप्त कर मौलिक सुधारों के पक्ष में थे, क्योंकि वे जातिवाद को विभिन्न सामाजिक बुराइयों की जड़ मानते थे। डॉ. आंबेडकर ने न केवल वर्ण-व्यवस्था के सिद्धांत का ही गहन अध्ययन किया अपितु उसके अमानवीय एवं घृणित व्यवहार का भी शिकार होना पड़ा। इस प्रकार सिद्धांत एवं व्यवहार की कसौटी पर कसकर डॉ. आंबेडकर ने वर्णवाद को परखा।[2]

ऐसा नहीं था कि आंबेडकर समस्त हिंदू समाज के दुश्मन थे या समस्त हिंदू समाज को अपना दुश्मन मानते थे। आंबेडकर केवल उस तथाकथित सवर्ण वर्ग को, जो कि जाति, धर्म और वर्ण व्यवस्था के नाम पर छुआछूत करते हैं और छुआछात करने वालों का समर्थन करते हैं, वह ऐसे लोगों से सवाल करते हैं कि जब सब हिंदू हैं तो आपके अधिकार हमसे अलग कैसे हैं। एक ही धर्म में दो तरह का व्यवहार कैसे हो सकता है? उन्होंने कई बार यह कहा है कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ, उसमें भी वह ब्राह्मणवाद जो कि जाति प्रथा और भेदभाव का समर्थन करता है।

अपने सारनाथ में दिए गए भाषण में वे कहते हैं, ''अस्पृश्यता हिन्दू धर्म के माथे पर एक भयंकर कलंक है और उससे हिन्दू जाति के हृदय की कलुषता का दिग्दर्शन होता है। यदि अछूत पवित्र एवं निर्मल होकर भी देवदर्शन के लिए जाते हैं तो उनके लिए मन्दिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। छुआछूत, भेदभाव व जाति-पाँति को समूल नष्ट करना सवर्ण हिन्दुओं का कर्त्तव्य है। हम उनका मुर्दा अपने कंधों पर क्यों वहन करें? आज मैं समस्त अछूत भाइयों का आह्वान करता हूँ कि वे ऐसे धर्म को अपनायें जिसमें मानव-मानव में कोई भेद न हों, समानता एवं भ्रातृत्व-भाव के अधिकार प्राप्त हों। यह उच्च आदर्श बौद्ध धर्म में ही है। जिस प्रकार विभिन्न नामों वाली तथा विभिन्न दिशाओं से आयी हुई नदियाँ समुद्र में मिलकर एक हो जाती हैं, उनका समुद्र ही नाम हो जाता है। उसी प्रकार बौद्ध धर्म को ग्रहण कर सभी समान हो जाते हैं, किसी प्रकार की विषमता नहीं रह जाती।''[3]

आंबेडकर जी धर्म को मानव जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग मानते थे, ऐसे ही वह यह भी मानते थे कि किसी भी सरकार का धर्महीन होना सही नहीं है। धर्म वह जो सबसे समान व्यवहार करें, और सबको समान अवसर प्रदान करे। उनका मानना था—

''प्रत्येक व्यक्ति, समाज और सरकार के लिए धर्म की आवश्यकता है। इसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। सच्चाई के बिना किसी प्रकार की प्रगति नहीं हो सकती। कौन-सा धर्म श्रेयस्कर है? यह आपको निश्चय करना चाहिए। बौद्धवाद और ब्राह्मणवाद में अंतर ठीक रूप से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। इनमें से किसी एक को आपको चुनना होगा। बुद्ध सामान्य व्यक्ति थे। बुद्ध के उपदेश जाति और वर्ग के विरुद्ध थे। बुद्ध ने सामान्य जनता से सम्पर्क रखा और मानवीय दृष्टिकोण से जनता के दुःख दूर करने का प्रयत्न किया। आज से आपके लिए कौन-सा धर्म उपकारी है, इसे आपको निश्चित करना है और इसकी स्वतंत्रता आपके लिए निर्विवाद है।''[4]

डॉ. आंबेडकर ने बौद्ध धर्म और भारत की सामाजिक दशा दोनों का साथ-साथ अध्ययन किया। उनकी शिक्षा संस्थानों से भी यह पुष्टि होती है। मुंबई में भगवान बुद्ध के नाम पर सिद्धार्थ नाम का कॉलेज खोलना, औरंगाबाद में स्थापित कॉलेज का नाम मिलिंद कॉलेज रखा गया। मिलिंद कॉलेज की स्थापना औरंगाबाद की बौद्ध गुफाओं के सामने की गई थी। आंबेडकर का बचपन से ही बुद्ध की ओर काफी झुकाव था क्योंकि श्री कृष्ण केलुस्कर जी ने उनको 'बौद्ध चरित्र' नाम की एक पुस्तक भेंट की थी, जिसका उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव था।

डॉ. आंबेडकर का मानना है कि बुद्ध का मत वैज्ञानिक है। आज का विज्ञान यह मानता है कि शक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती है। यह मानना कि मृत्यु के पश्चात् कुछ भी शेष नहीं रहता है, विज्ञान के विपरीत होगा, क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि शक्ति की मात्रा निश्चित है। मृत्यु के बाद कुछ न मानना, शक्ति-संरक्षण के विपरीत पड़ता है। बौद्ध धर्म में मृत्यु के पश्चात् शक्ति का पुद्गल ही शेष रह जाते हैं और उन्हीं का पुनर्जन्म होता रहता है।[6]

धर्म वही होना चाहिए जिसे हम धारण कर सकें, जिसे हम धारण नहीं कर सकते, जिसे हम अपने आचरण में नहीं ला सकते, वह धर्म नहीं हो सकता। ऐसा आंबेडकर जी का मानना था। सबके साथ समता और समानता का व्यवहार करना धर्म का मूल आधार है।

''धर्म और नैतिक आचरण में अन्तर होना नहीं चाहिए। धर्म में नैतिक आचरण के नियम का समावेश करने में पहले स्वातंत्र्य, समता और बंधुत्व इन तीनों का समावेश अत्यावश्यक है। सामाजिक जीवन में आवश्यक उपर्युक्त तत्त्वों का जिस धर्म में अभाव होगा, उस धर्म को मृत तुल्य ही समझना चाहिए।''[6]

ऐसा नहीं था कि आंबेडकर जी बुद्ध धर्म को मानते थे तो वह बुद्ध धर्म की समीक्षा या मूल्यांकन नहीं करते थे। उन्होंने समय-समय पर बुद्ध धर्म में बदलाव पर जोर दिया और उन्होंने समय-समय पर यह भी बताना शुरू किया कि पहले धर्म में भगवान बुद्ध ने क्या शिक्षाएं दी थी और आजकल धर्म में क्या चल रहा है और धर्म अपने मूल रूप से कहीं-न-कहीं भटक गया है। ये चीजें भी आंबेडकर जी ने बताने का प्रयास किया, जो चीजें उनको अच्छी लगी, उन्होंने उस पर अपनी राय रखी और जो कि धर्म में और भी चीजों में बदलाव होना चाहिए, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। जैसे कि वह कहते हैं–

''अपने भिक्खुओं को सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने यह आदेश दिया था कि संसार की हर दिशा में जाकर धर्म का प्रचार करें। किंतु वर्तमान युग में हम देखते हैं कि भिक्खु अपने-अपने विहार में रहकर आत्मोन्नति का मार्ग ढूंढ़ रहे हैं, यह कदापि उचित तथा हितप्रद नहीं है। बौद्ध धर्म कोई एकांत में आचरण किया जाने वाला रहस्यमयी आचार नहीं है। वह तो एक प्रबल सामाजिक शक्ति है। आज भी विनाश की भयानक चोटी पर खड़े संसार को मार्ग दिखाने का सामर्थ्य इस शक्ति में है। भगवान बुद्ध के आदेश का स्मरण रखते हुए, उसका प्रचार चारों ओर करने की भिक्खुओं की चेष्टा करनी चाहिए।''[7]

बार-बार आंबेडकर धर्म के मार्ग पर चलते हुए मानव को सदाचार, समता, बंधुता के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं जिस धर्म में यह तीनों नहीं हैं, वह धर्म का मार्ग नहीं है, वह भगवान बुद्ध की इन्हीं शिक्षाओं का प्रचार करते हैं लेकिन वह कहीं-न-कहीं वर्तमान समय के परिदृश्य से दुखी भी हैं। उनकी मान्यता थी इस धरती पर बौद्ध धर्म का जन्म हुआ और इसी पर सबसे ज्यादा हानि हुई।

''यदि मनुष्य को अपना जीवन सुखी बनाना है, तो उसे सदाचार, समता और बंधुत्व अपनाना चाहिए। इसे छोड़, अन्य कोई मार्ग नहीं है। बौद्ध धर्म में यही बातें विशेष रूप से बतलाई गई हैं। मैंने भगवान बुद्ध की इन्हीं शिक्षाओं को अपने छः करोड़ अनुयायियों को बतलाया है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस देश में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उसी देश में उनके धर्म का ह्रास हो गया है। ऐसी विचित्र घटना क्यों हुई? भारत में ब्राह्मणों ने हिन्दू धर्म पर अपना प्रभुत्व बहुत वर्षों से जमा रखा है, परन्तु मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूँ कि कोई भी विद्वान् पण्डित बौद्ध धर्म के तत्त्व पर चर्चा कर सकता है। मैं उसे परास्त किए बिना नहीं रहूँगा। लोकसभा में रहते हुए मैंने बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए कुछ बातें की हैं। भारत के विधान का मैं निर्माता हूँ। मैंने जो विधान निर्माण किया, उसमें पाली भाषा को स्थान दिया है। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रपति भवन में भगवान बुद्ध के शासन का प्रथम आदेश 'धर्मचक्रप्रवर्तनाय' स्थापित कराया है। मैंने भारत के विधान में अशोक चक्र

को भारत के ध्वज पर तथा भारत की राजमुद्रा में स्वीकृत कराया है। इतना सब करते हुए भी हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और अन्य संसद के सदस्यों द्वारा मेरा विरोध इस बात में नहीं किया गया।"[8]

निष्कर्ष : आंबेडकर जी का मानना था कि बौद्ध धर्म से ही भारत देश का भला हो सकता है क्योंकि बौद्ध धर्म में जाति-पाँत, ऊँच-नीच और भेदभाव नहीं है। आंबेडकर जी का यह भी मानना था कि बौद्ध धर्म भारत की मिट्टी से ही निकला हुआ धर्म है और यह भारत को कभी भी हानि नहीं पहुँचाएगा। इसीलिए उन्होंने किसी बाहरी धर्म को न अपनाकर बौद्ध धर्म को अपनाना ही उचित समझा। बौद्ध धर्म के कई पहलुओं से वह बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जैसे कि प्रज्ञा, करुणा और समता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म का रास्ता चुना। डॉक्टर आंबेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म का उद्देश्य संपूर्ण विश्व का कल्याण करना है। इससे उनका उद्देश्य केवल जिस देश में रहते हैं, उसकी उन्नति या उसकी प्रगति या उसके कल्याण की कामना नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण की कामना है।

संदर्भ ग्रंथ :

1. आंबेडकर, बी.आर. : द बुद्ध एण्ड हिज धम्म, प्रकाशन पृ. 261-262
2. जाटव, डी.आर. : डॉ. आंबेडकर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, समता प्रकाशन, जयपुर, 1991, पृष्ठ 116
3. सारनाथ और वाराणसी में 24 से 27 नवम्बर, 1956 तक बाबासाहेब द्वारा दिए गए भाषणों के आधार पर।
4. नई दिल्ली में 1950 की बुद्ध जयंती में बाबासाहेब द्वारा दिए गए भाषण के आधार पर।
5. आंबेडकर, बी.आर. : द बुद्ध एण्ड हिज धम्म, पृष्ठ 332
6. आगरा में दिए गए भाषण के आधार पर।
7. (काठमांडू में नवम्बर, 1956 में दिए गए भाषण के आधार पर) इस ऐतिहासिक प्रवचन का सम्पूर्ण पाठ परिशिष्ट में दिया गया है।
8. सन् 1958 में रंगून के कबाये नामक स्थान पर विश्व बौद्ध भ्रातृत्व अधिवेशन के तृतीय अधिवेशन में दिए गए भाषण के आधार पर।